राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2103/2012/बांसवाडा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बांसवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शीतल कॉटन इण्डस्ट्रीज,
कुशलगढ़, बांसवाडा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

दिनांक : 09/01/2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 05/सीएसटी/11–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.06.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बांसवाडा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी ने आलोच्य अवधि में बिक्री केन्द्रीय विक्रय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत करना घोषित किया। खरीद से बिक्री कम दर्शाने के फलस्वरुप व्यवसायी को नोटिस जारी किये गये तथा उक्त विक्रय से संबंधित बिल व बिल्टियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। उक्त घोषित Subsequent Sale को प्रमाण के अभाव में अस्वीकार किया जाकर खरीद बिक्री को अन्तर्राज्यीय संव्यवहार माने जाते है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाने पर पुनः सुनवाई किये जाने के आदेश दिये जाकर प्रकरण सक्षम अधिकारी को दिनांक 31.01.2011 को प्रतिप्रेषित किया गया था, इसके विरुद्ध वा.क.अ., बांसवाडा ने धारा 83 में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलीय आदेश को निरस्त किया जावें व कर निर्धारण आदेश को बहाल किया जावें।

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

4. अपीलीय आदेश द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि यदि व्यवसायी द्वारा Subsequent Sale से संबंधित दस्तावेज/बकाया घोषणा पत्र प्रस्तुत कर देता है तो तद्नुसार कर व ब्याज में कमी की जावें। कार्यालय रिकार्ड से विदित होता है कि व्यवसायी के उक्त प्रकरण में प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है चूंकि उक्त प्रकरण तथ्यों की जांच हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया था तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन नहीं किया है अतः कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ति के 2 माह में प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण करें।

उपरोक्तानुसार प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी रिकार्ड की जांच से यह सुनिश्चित करें कि व्यवसायी द्वारा दर्शाई गई Subsequent Sale नियमानुसार सही है या नहीं ? धारा 6(2) के प्रावधानों की पालना की गई है या नहीं। समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किया जावें।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य